

फर्द अहकाम

मजदूर बनाम आमपुल्ल

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या 15/2007 फागी

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/12/11	<p>पत्रावली पेश / पक्षकारान वकील अनुपस्थित / पक्षकारान व पक्षकारान के अधिवक्ता का आज्ञा दिलाई गई। कोर्ट उपस्थित नहीं हुए। बार-बार आज्ञा दिलाई गई फिर भी कोर्ट उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट का समय पूर्ण हो चुका है। गाड़ी का वाउ आउट हाजरी व अदम पुरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कुल शुमार लेकर दर्ज नं. से उम्मीद है दारिज रखल रहे।</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p>उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला-दूदू</p>